

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 253/2024
निर्णय दिनांक : 21.08.2024

—:आदेश:—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने तहसीलदार सांगानेर को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम- भम्मोरिया, पटवार हल्का भम्मोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 183 में खसरा संख्या 524 रकबा 0.3600 हैक्टेयर कुल किता 1 है, जिसमें मौके पर वर्तमान में सीमेंट की रोड बनी हुई है। जिसकी जमाबंदी में किस्म बारानी 2 रास्ता अंकित है अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि खसरा संख्या 524 संपूर्ण भूमि की किस्म बारानी 2 रास्ता से गैर-मुमकिन रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने की कृपा करें। जिससे मौके पर आवागमन कोई बाधा व वाद-विवाद उत्पन्न न हो। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि खसरा संख्या 524 की किस्म को गैर-मुमकिन रास्ता जमाबंदी में दर्ज करवाने की कृपा करें।

तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय हाजा में एक प्रस्ताव पेश किया।

तहसीलदार सांगानेर की ओर से पेश प्रस्ताव को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पेश किये प्रस्ताव में अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के राजस्व ग्राम भम्मोरिया पटवार हल्का भम्मोरिया तह0 सांगानेर के खसरा नम्बर 524 रकबा 0.3600 हैक्टेयर में से प्रस्तावित रकबा राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार सांगानेर द्वारा पेश प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भम्मोरिया पटवार हल्का भम्मोरिया तह0 सांगानेर के खसरा नम्बर 524 रकबा 0.3600 हैक्टेयर कि किस्म बारानी के स्थान पर मौके पर चालू रास्ता होने पर गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),

जयपुर

